न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. रिव्यू-1625-PDR-14 /14 पुराविलोकन (रिव्यू.)

1. नीरज शर्मा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल शर्मा
2. राकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल शर्मा

निवासीगण हनुमान सदन, रामदास घॉटी

शिन्दे की छावनी लश्कर , ग्वालियर म0प्र0

.....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. श्रीमती जमुना देवी पुत्री श्री परशुराम जाति तेली

निवासी ग्राम - धनेली तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....प्रति प्रार्थीगण

पुनरा विलोकन आवेदन पत्र विरूद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री स्वदीप सिंह जी) अध्यक्ष दिनांक 27.03.2014 अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू - राजस्व सहिता 1959/ प्र.क्र. 3483 पीबीआर/2012 निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 1625–PBR / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–3–2014 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । **(स्वदीप सिंह)** अध्यक्ष	